भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 114

उत्तर देने की तारीख 22.07.2024

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा डिजिटल स्वरूप को अपनाना

114. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और डिजिटल स्वरूप अपनाने की दिशा में सहायता करने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसी गतिविधियों के लिए कोई निधि या विशेष ऋण योजना शुरू करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ख): एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने और डिजिटल परिवर्तन करने हेतु कई पहलें शुरू की हैं। इनमें अन्य पहलों के साथ-साथ उद्यम पंजीकरण, एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स), msmemart.com, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) से खरीद की निगरानी हेतु एमएसएमई संबंध, और विलंबित भुगतान के संबंध में आवेदन करने हेतु एमएसएमई समाधान पोर्टल शामिल हैं।

(ग) और (घ): मंत्रालय, एमएसएमई को आधुनिक प्रोद्योगिकियों और डिजिटल परिवर्तन तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों का संचालन कर रहा है। इनमें अन्य स्कीमों के साथ-साथ परिवर्तन हेतु एमएसएमई पर्यावरण अनुकूल निवेश और और निधियन स्कीम (एमएसई गिफ्ट स्कीम), वृत्तीय अर्थव्यवस्था में संवर्धन और निवेश हेतु एमएसई स्कीम (एमएसई स्पाइस स्कीम), एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम, व्यापार सक्षमता और विपणन (टीम) स्कीम शामिल हैं।

****